तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामप्रसाद वगैरह उनवान सरकार बनाम ...ग्राम पंचायत व अन्य...... अपील विरुद्ध ना.सं. 190 दि. 5.9.03 ग्राम पं. चांदेरा	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.12.20	मुकदमा नं0 ....8/20.......... निर्णय दि0.....8.12.20..... पत्रावली निर्णय हेतु पेश मे ली गयी। उभय पक्ष पत्रावली के तथ्यों पर गौर किया गया। अपील के तथ्यों अनुसार ग्राम चांदेरा के खाता सं. 3 (कुल 4) ख.नं. 49, 65, 148, 219 की कुल भूमि 3.77 है. मे से 1/2 हिस्सा भूमि अपीलार्थियों की माता मांगी देवी पुत्री खवाना जाति मीना दर्ज रही है। उक्त भूमि मांगी देवी को अपने पिता खवाना पुत्र रमजीता से विरासत प्राप्त हुयी थी। अपीलार्थियों की माता मांगी देवी के निधन पर ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा ना.सं. 190 मांगी देवी पुत्री खवाना की भूमि का उसके पुत्रों प्रताप व रामफूल के नाम भरा, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 5.9.03 को उक्त नामान्तरण का निर्णय पारित करते हुये मांगी के चचेरे भाईयों किशोरी - हरिराम - प्रताप पि. किशनलाल के नाम स्वीकृत कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा इसका आधार 10.1.2003 के प्रताप - रामफूल पि. मांगा द्वारा प्रस्तुत 10 रु. के स्टाम्प पर लिखे शपथ पत्र - हकत्याग को वर्णित किया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा-5 Limitation Act का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा दि. 18.11.20 को जवाब पेश करते हुये अपीलार्थीगण द्वारा सहमति से मांगी देवी के विरासत नामान्तरण तस्दीक करवाने का कथन किया। सहमति पत्र, ग्राम पंचायत की कार्यवाही व नामान्तरण सं. 190 के ग्राम पंचायत के निर्णय का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत को LR Act 135(1) के तहत केवल निर्विवादित नामान्तरणों की ही स्वीकृति की शक्तियां प्राप्त है। प्रश्नगत नामान्तरण मांगी के पुत्रों के नाम भरा गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति सहमति शपथ पत्र का हवाला देते हुये [illegible] भाईयों के नाम स्वीकृत किया है। इस तरह [illegible] स्वीकृत करने की शक्तियां LR Act 135(2) के तहत तहसीलदार को दी गयी है, न [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा 10 रु. के स्टाम्प [illegible] आधार पर मांगा [illegible]	

— लगातार . . .

8.12.20

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:50:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के पुत्रों की सहमति के आधार पर नामान्तरण निर्णित किया है
हकत्याग दस्तावेज का उपपंजीयक कार्यालय में पंजीयन आवश्यक
है और बिना पंजीकृत हकत्याग के आधार पर नामान्तरण निर्णित
करने की शक्तियां ग्राम पंचायत और तहसीलदार को प्राप्त नहीं
है

अत: ग्राम पंचायत चांदेरा द्वारा दि. 5.9.2003 को मंगली
देवी का निर्णित नामान्तरण सं. 190 खारिज किया जाता है
तथा तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि
को मंगली देवी के प्राकृतिक वारिसों के नाम विरासतन
नामान्तरण पुन: भरकर नियमानुसार स्वीकृत करें
निर्णय आज दि. 8.12.2020 को खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी उ0
...ल जिला-दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:50:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner